# मध्य प्रदेश शासन :
# वित्त विभाग
# मंत्रालय

## आदेश

भोपाल, दिनांक 23/01/2015

क.एफ.2.00/आर–3167/2014/ई/चारः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण विकसित करने हेतु नये उद्यमियों द्वारा नवाचार पर आधारित उद्योग/व्यवसाय/सेवाओं को प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक अंशपूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वेंचर केपिटल फण्ड की स्थापना हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेः–

1. वेंचर केपिटल फण्ड की संस्थागत व्यवस्था हेतु वित्त विभाग के अधीन एक एसेट्स मैनेजमेंट कम्पनी के गठन हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जाये, जिसमेंः–

अ. प्रदेश में वित्त विभाग के अधीन मध्य प्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड (Madhya Pradesh Venture Finance Limited) अथवा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ द्वारा अनुमोदित अन्य लगभग समान नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी गठित करने हेतु कार्यवाही की जाये।

ब. कम्पनी के गठन हेतु राज्य शासन की ओर से 5 प्रारम्भिक अभिदाता (initial subscribers) (1) प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार (2) सचिव, वित्त विभाग (3) सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (4) आयुक्त, संस्थागत वित्त (5) म0प्र0 वित्त निगम तथा 2 प्रारम्भिक संचालक (initial Directors) आयुक्त, संस्थागत वित्त एवं म0प्र0 वित्त निगम द्वारा नामित एक संचालक नामित किये जाये। जीवीएफएल लि0 द्वारा 10 प्रतिशत हिस्सेदारी धारित की जाना है। अतः, जीवीएफएल लि0 द्वारा दो प्रारम्भिक अभिदाता (initial subscribers) तथा एक प्रारम्भिक संचालक (initial Directors) नामित किये जाये।

स. उक्त कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी रूपये एक करोड़ होगी तथा प्रारम्भिक प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 5 लाख रखी जाये। प्रारम्भिक रूप से प्रदत्त अंशपूंजी में 90 प्रतिशत राज्य शासन एवं/अथवा इसके उपक्रमों तथा 10 प्रतिशत जी0वी0एफ0एल0 लि0 द्वारा अभिदत्त (subscribe) होगी। कम्पनी द्वारा गठन उपरान्त अपनी अंशपूंजी निगम, मण्डल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बाह्य वित्त पोषण संस्थाएं आदि को जारी कर प्रदत्त अंशपूंजी में वृद्धि की जा सकेगी।

द. उक्त कम्पनी के गठन उपरान्त कम्पनी द्वारा बैंकों, वित्तीय स्थापनाओं, कारपोरेट्स आदि को भी अपना शेयर–होल्डर बनाया जावे जिससे कि उक्त कम्पनी की प्रदत्त अंशपूंजी का अधिकतम 49 प्रतिशत राज्य शासन के विभाग/उपक्रमों द्वारा धारित रहे तथा न्यूनतम 51 प्रतिशत बैंकों, वित्तीय स्थापनाओं, कारपोरेट्स आदि द्वारा धारित की जाये।

ई. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये पृथक से विभाग गठन होने की स्थिति में इस विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भी कम्पनी में प्रतिनिधित्व दिया जाये।

2. वेंचर केपिटल फण्ड की संस्थागत व्यवस्था हेतु फण्ड के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने हेतु वित्त विभाग के अधीन एक प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के गठन हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जाये, जिसमेंः–



Scanned by CamScanner

अ. प्रदेश में मध्य प्रदेश वेंचर फायनेंस ट्रस्टी कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड (Madhya Pradesh Venture Finance Trustee Company Private Limited) अथवा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ द्वारा अनुमोदित अन्य लगभग समान नाम से एक प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी गठित की जाये।

ब. कम्पनी के गठन हेतु राज्य शासन की ओर से 2 प्रारम्भिक अभिदाता (initial subscribers) आयुक्त, संस्थागत वित्त एवं म0प्र0 वित्त निगम तथा 2 प्रारम्भिक संचालक (initial Directors) आयुक्त, संस्थागत वित्त एवं म0प्र0 वित्त निगम द्वारा नामित एक संचालक नामित किये जाये।

स. उक्त कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी रूपये एक लाख होगी तथा प्रदत्त अंशपूंजी भी रूपये एक लाख होगी। प्रदत्त अंशपूंजी शतप्रतिशत राज्य शासन एवं इसके उपकमों द्वारा अभिदत्त (subscribe) की जाये।

द. उक्त कम्पनी के गठन उपरान्त कम्पनी द्वारा बैंकों, वित्तीय स्थापनाओं, कारपोरेट्स आदि को भी अपना शेयर–होल्डर बनाया जाये जिससे कि उक्त कम्पनी की प्रदत्त अंशपूंजी का अधिकतम 49 प्रतिशत राज्य शासन के विभाग/उपकमों द्वारा धारित रहे तथा न्यूनतम 51 प्रतिशत बैंकों, वित्तीय स्थापनाओं, कारपोरेट्स आदि द्वारा धारित की जाये। किसी भी बैंक, वित्तीय स्थापना, कारपोरेट आदि द्वारा अधिकतम 24 प्रतिशत अंशपूंजी धारित की जाये।

3. सेबी एल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फण्ड्स रेग्यूलेशंस, 2012 के अनुसार वेंचर केपिटल फण्ड्स हेतु सेबी से पंजीयन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाये। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत् मध्य प्रदेश एमएसएमई फण्ड (Madhya Pradesh MSME Fund) अथवा रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटिज़ द्वारा अनुमोदित समान नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाये। सेबी के रेग्यूलेशंस अनुसार ट्रस्ट द्वारा राशि एकत्र करते हुए निवेश नीति के अनुरूप निवेश किया जाये।

4. सेबी एल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फण्ड्स रेग्यूलेशंस, 2012 के प्रावधान अनुसार फण्ड हेतु न्यूनतम राशि एवं निवेशकों की संख्या निर्धारित की जाये। रेग्यूलेशंस के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा न्यूनतम रू. 5 करोड़ का प्रारम्भिक निवेश फण्ड में किया जाये। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त धनराशि भी निवेशित की जाये।

उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु आयुक्त, संस्थागत वित्त को अधिकृत किया जाता है। कम्पनी/ट्रस्ट के गठन के संबंध में सक्षम संस्थाओं में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का अनुमोदन वित्त विभाग से यथासमय लिया जाये। कम्पनी/ट्रस्ट की संरचना के लिये भी वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही–

**(मनीष रस्तोगी)**
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग



Scanned by CamScanner

पृ.क.एफ201/आर–3167/2014/ई/चार भोपाल, दिनांक 23/01/2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय वित्त मंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश वित्त निगम, इन्दौर।
8. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक, जी0वी0एफ0एल0 लिमिटेड, प्रथम तल, प्रेमचंद हाउस एनेक्स, पापुलर हाउस के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद।
10. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग



Scanned by CamScanner